

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2010—कार्तिक 6, शक 1932

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-11-2-2009-सात-शा-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-36-2008-एम एण्ड जी दिनांक 25 मार्च 2010 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा छतरपुर जिले के नगर "लौंडी" का नाम परिवर्तित कर "लवकुश नगर" करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-11-2-2009-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-2-2009-सात-शा-6, दिनांक 28 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th October, 2010

No. F. 11-2-2009-VII-6.—In pursuance of no objection conveyed by Govt. of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. F. 11-36-2008-M&G dated 25 March, 2010 the State Government hereby change the name of town of "LAUDI" District Chhattarpur as "LAVKUSH NAGAR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

Attested


वेदप्रकाश चतुर्वेदी
पब्लिक नोटरी
लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

1141

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.